

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर-492 002
// आदेश //

21 JAN 2016

नया रायपुर, दिनांक

क्रमांक एफ 7-19/2015/12 :: छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 2(1)(ख) सहपठित नियम 6(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 जनवरी, 2016 द्वारा खदान एवं खदान के समूह के खनन से संबंधित सक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र घोषित किये गये हैं।

2/ उक्त आदेश के तारतम्य में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 17 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा नियम-18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों के जिला खनिज संस्थान न्यास को प्राप्त होने वाली अंशदान निधि को जिलों की न्यास निधि में निम्नानुसार अंतरित किया जाना निर्धारित किया जाता है:-

2.1 प्रदेश में खनन से संबंधित सक्रियाओं से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों की मैदानी वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 18(2), 20(3) एवं 20(6) के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लेखित जिलों के खदान/खदान समूहों से जिलों के जिला खनिज संस्थान न्यास को प्राप्त होने वाले अंशदान निधि का उनके सम्मुख दर्शित जिलों के लिए निर्धारित प्रतिशत के अनुसार न्यास निधि में राशि अंतरित किया जाना निर्धारित किया जाता है :-

क्र.	खदान एवं खदान समूहों का नाम	जिला अंशदान निधि खाते में खदान एवं खदान के समूहों द्वारा जमा राशि का जिले एवं अन्य जिलों की न्यास निधि में अंतरित किये जाने वाला प्रतिशत					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा अंतर्गत स्थित लौह अयस्क के खनिपट्टे	दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा 40%	बस्तर 25%	सुकमा 10%	बीजापुर 15%	नारायणपुर 5%	कोण्डागांव 5%
2	जिला बालोद अंतर्गत स्थित लौह अयस्क के खनिपट्टे	बालोद 50%	राजनांदगांव 20%	दुर्ग 15%	धमतरी 5%	कांकेर 10%	-
3	जिला कोरबा अंतर्गत स्थित कोयला के खनि पट्टे	कोरबा 60%	जाजगीर चांपा 20%	बिलासपुर 15%	जशपुर 5%	-	-
4	जिला रायगढ़ अंतर्गत स्थित कोयला के खनि पट्टे	रायगढ़ 70%	जशपुर 15%	महासमुद्र 15%	-	-	-
5	जिला कोरिया अंतर्गत स्थित कोयला के खनि पट्टे	कोरिया 90%	बिलासपुर 10%	-	-	-	-
6	जिला बलौदाबाजार अंतर्गत स्थित मुख्य खनिज चूना पत्थर के खनि पट्टे	बलौदाबाजार 80%	रायपुर 20%	-	-	-	-

2.2 छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 18(2) एवं 20(3) के प्रावधानों के तहत उपरोक्त पैरा-2.1 की तालिका के कॉलम 2 में उल्लेखित खदान/खदान समूहों के अतिरिक्त अन्य खदानों से जिलों के जिला खनिज संस्थान न्यास को प्राप्त होने वाली अंशदान निधि को उसी जिले की न्यास निधि में अंतरित किया जावेगा।

3/ जिलों को प्राप्त होने वाली अंशदान निधि को उपरोक्तानुसार जिलों की न्यास निधि में अंतरित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(सुबोध कुमार सिंह)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खनिज साधन विभाग

c/c

W

.....2

पृ0क्रमांक एफ 7-19/2015/XII

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व, पंचायत, गृह, वन, ऊर्जा, शिक्षा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, स्वास्थ्य, कृषि, लोक निर्माण, जल ससाधान, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 2. समस्त संभागायुक्त, संभाग-.....छत्तीसगढ़,
 3. संचालक, भूमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-डी, द्वितीय तल, नया रायपुर, छत्तीसगढ़,
 4. कलेक्टर/पदेन अध्यक्ष,जिला- खनिज संस्थान न्यास, जिलाछत्तीसगढ़,
 5. उप संचालक (खनिज प्रशासन)/खनि अधिकारी, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), जिलाछत्तीसगढ़,
- की ओर उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खनिज साधन विभाग

nc

W